न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 39 / 2024

बैंक ऑफ बडौदा शाखा बासडा, सिकन्दरा चौराहा, जिला दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री छुटटन लाल मीना

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री विश्राम सैनी पुत्र श्री रंग लाल सैनी ....अप्रार्थीगण / ऋणी
   झारपीर की ढाणी , ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज.)–303326
2. श्री तारा चन्द सैनी पुत्र श्री रंग लाल सैनी
   झारपीर की ढाणी , ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज.)–303326
3. श्री रंग लाल सैनी पुत्र श्री हरी राम सैनी (गारन्टर)
   झारपीर की ढाणी , ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज.)–303326

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसैटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुदर्गी बाबत।

उपस्थित : श्री सत्येन्द्र खोरानिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 01.05.2024

प्रार्थी / बैंक / कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी / बैंक / कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री विश्राम सैनी पुत्र श्री रंगलाल सैनी व अन्य को दिनांक 12.09. 2019 को 18,80,000 / – रूपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में प्रार्थना पत्र की मद सं.–6 में वर्णित संपति को प्रार्थी / बैंक / कम्पनी के हक मे बंधक रखा था किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तो के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.01.2024 को अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए.श्रेणी में वर्गीकृत दिया गया तथा दिनांक 11.01.2024 तक प्रार्थी / बैंक / कम्पनी के अप्रार्थीगण की तरफ 17,25,484.87 / – रूपये निकलते है जिनके संबंध में प्रार्थी / बैंक / कंपनी के द्वारा अप्रार्थी को **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 11.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात को समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया गया, किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी / बैंक / कंपनी की बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी / बैंक / कंपनी बंधकशुदा संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–6 मे दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी / बैंक / कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पति / जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद सख्या–6 में दिया गया है, का कब्जा प्रार्थी / बैंक / कंपनी को दिलाये जाने कें संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आये कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी / बैंक / कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण राशि का एग्रीमेंट की शर्तो के अनुसार नियमानुसार भुगतान नही किया है जिसके कारण कि प्रार्थी / बैंक / कंपनी ने अप्रार्थी के ऋण खाते को दिनांक 10.01.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है तथा इसके पश्चात प्रार्थी / बैंक / कंपनी के द्वारा धारा 13(2) के नोटिसों का समुचित रूप से तामील / प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा विहित समयावधि के भीतर बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी / बैंक / कंपनी को नहीं किया है जिससे प्रार्थी / बैंक / कंपनी बंधक संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–6 में दिया गया का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

अतः प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assets and [illegible]ment of Security Interest Act, 2002** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि [illegible] की मद संख्या–6 में वर्णित संपति श्री रंगलाल सैनी पुत्र श्री हरिराम सैनी की [illegible] ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित आवासीय [illegible] में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर) है, का कब्जा प्रार्थी / बैंक / कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दि[illegible] एवं पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, [illegible] को आदेशित किया [illegible] कि प्रार्थी / बैंक / कंपनी द्वारा नियमानुसार खर्चा जमा करवाये जाने पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01 मई, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Devendra 1/5/24
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 11:30:43 IST
Reason: SelfAttested